क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: रेफरल ट्रॉन्सपोर्ट

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): रेफरल ट्रॉन्सपोर्ट

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): A1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

'जय प्रभा जननी–शिशु आरोग्य एक्सप्रेस'' सेवा की विशेषतायें:

1. यह सेवा 24x7 घण्टे उपलब्ध रहेगी तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क टेलिफोन नम्बर '102' पर डायल किया जा सकता है।
2. इन एम्बुलेन्सों को उन स्वास्थ्य संस्थानों पर केंद्रित किया गया है जहां प्रसव सेवा उपलब्ध है यथा 345 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 अनुमण्डलीय अस्पतालों तथा 149 प्रथम रेफरल इकाईयाँ (First Referral Units)।
3. **इस योजना के अर्न्तगत निम्नांकित लाभाथियों को निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी:–**

क) सभी गर्भवती महिलाओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव (सामान्य अथवा सिजेरियन) हेतु

- i) आवास से स्वास्थ्य संस्थान
- ii) जटिलता की स्थिति में एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे संस्थान तक
- तथा iii) प्रसवोपरान्त घर वापसी

ख) जन्म से तीस दिनों तक के सभी बीमार नवजात शिशु हेतु

- i) घर से स्वास्थ्य संस्थान
- ii) जटिलता की स्थिति में एक स्वास्थ्य संस्थान से दूसरे स्वास्थ्य संस्थान तक
- तथा iii) इलाजोपरान्त घर वापसी

ग) गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले (लाल अथवा पीला कार्डधारी परिवार)
घ) वरिष्ठ नागरिकों के इलाज़ हेतु
ड़) कालाजार मरीजों के आवागमन हेतु

ईकाई राशि (रु० में) :

प्रति BLS एम्बुलेन्स द्वारा तय किये गए किलोमीटर के आधार पर भुगतान हेतु रु० 130000.00 प्रतिमाह के दर से आवंटन किया जा रहा है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करे।

(क) पत्रांक 3216 दिनांक 13.04.2012

(ख)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003023

SKumar